



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर एक्ट के 02 अभियुक्त को 02-02 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 1403/2011 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.सहाम पुत्र हमीद खां 2.बंटा उर्फ विकास पुत्र नत्थू सिंह निवासी गण ग्राम निवादा, थाना बिंवार, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 02-02 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को ₹5,000-5,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी सुशील कुमार
त्रिपाठी



विवेचक-
उ0नि0 श्री पन्नालाल



पैरोकार- थाना सुमेरपुर
का0 जगत सिंह